न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

प्रार्थनापत्र संख्या :– 50 / 2019 दायर तारीख 12.03.2019

अनवान

01. रामलाल पिता देबीलाल जाति भील उम्र नाबालिग जरिये माता संरक्षक लीला पत्नि देबीलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. सुगना पुत्री देबीलाल जाति भील उम्र नाबालिग जरिये माता संरक्षक लीला पत्नि देबीलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. पूजा पुत्री देबीलाल जाति भील उम्र नाबालिग जरिये माता संरक्षक लीला पत्नि देबीलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. आरती पुत्री देबीलाल जाति भील उम्र नाबालिग जरिये माता संरक्षक लीला पत्नि देबीलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
05. लीला पत्नि देबीलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
06. शांति पुत्री सेवा पत्नि दीपचन्द जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां हाल मुकाम बडवा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
07. फोरी पुत्री सेवा पत्नि बुतराज जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां हाल मुकाम देवोरिया बून्दी, लक्ष्मीपुरा तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)
08. हंगामीबाई पत्नि सेवा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

..................वादीगण

बनाम

1. रमेशचन्द्र पिता देबीलाल जाति शर्मा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री रामफूल धाकड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण

पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 21 / 05 / 2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया की हम प्रार्थीगणों की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम माहुपुरा पटवार हल्का तिलस्वां में आराजी संख्या 64 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वां भूमि स्थित हैं। जिस पर आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता जो कि विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 56, 59, 60 में से होकर आगे प्रार्थीगण संख्या 05 व 06 की स्वयं की खातेदारी आराजी संख्या 61 / 1, 65 / 1 दक्षिण –पश्चिम दिशा में होकर आगे बढते हुये प्रार्थीगण की आराजी संख्या 64 में पहुंचता है इसका उपयोग प्रार्थीगण एवं उनके पूर्व खातेदार करते रहे। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पहुचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इस रास्ते से प्रार्थीगण पैदल आने जाने के अतिरिक्त सजबेल टेक्टर आदि लेकर आते जाते है। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात है विपक्षीगण की आराजी संख्या 56, 59, 60 में उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पडता है। उक्त रास्ते के आलाव प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु ट्रेक्टर बेलगाडी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ते का अवरूद्ध कर दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही हैं। प्रार्थीगण विपक्षी की उक्त आराजीयात पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रेकॉर्ड में दर्ज करने के बदले तय किये जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2019/703 दिनांक 17.05.2019 में अंकित किया कि प्राथीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि माहुपुरा पटवार हल्का तिलस्वां की आराजी संख्या 64 रकबा 2–02 बीघा भूमि में जाने हेतु धारा 251 ए (1) के तहत 12 फिट चौडा रास्ता चाह गया है। मौके अनुसार रास्ता आराजी संख्या 55 रकबा 0–15 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता से आराजी संख्या 56, 59, व 60 में मध्य से व आराजी संख्या 61, 65 की उत्तरी दिशा से होता हुआ आराजी संख्या 65/1 पश्चिमी दिशा से लगती हुए आराजी संख्या 64 पर पहुचा रहा है। उक्त रास्ता 12 फिट चौडा व 580 फिट लम्बाई का होकर आराजी संख्या 56 मे से 0–01 बीघा, आराजी संख्या 59 मे से 0–01 बीघा, आराजी संख्या 60 मे से 0–01 बीघा, आराजी संख्या 61 मे से 0–01 बीघा, आराजी संख्या 65 मे से 0–02 बीघा व आराजी संख्या 65/1 मे से 0–02 बीघा कुल किता 0–08 बीघा भूमि पर होकर निकल रहा है। रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 56, 59, 60 खातेदार रमेशचन्द पिता देबीलाल शर्मा सा0 तिलस्वां आराजी संख्या 61, 65 खातेदार रामलाल पिता देबीलाल वगैरह व आराजी संख्या 65/1 शांति, फोरी, पिता सेवा भील सा0 तिलस्वां के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त रास्ते की आराजीयात स्वीकृत खनन क्षैत्र की 250 मीटर की परिधि में है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डीएलसी दर 584280/– रूपये प्रति बीघा से भूमि की मालियत 233712/– रूपये का दुगुना से 467424/– रूपये राशि बनती है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व विपक्षी तहसीलदार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगणों को स्वयं के खाते की भूमि ग्राम माहूपुरा में आराजी नम्बर 64 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वां पर पहुचने के लिए विपक्षी की आराजी संख्या 56 मे से 0–01 बीघा, आराजी संख्या 59 मे से 0–01 बीघा, आराजी संख्या 60 मे से 0–01 बीघा, आराजी संख्या 61 मे से 0–01 बीघा, आराजी संख्या 65 मे से 0–02 बीघा व आराजी संख्या 65/1 मे से 0–02 बीघा कुल किता 0–08 बीघा भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डीएलसी दर 584280/– रूपये प्रति बीघा से भूमि की मालियत 233712/– रूपये का दुगुना से 467424/– रूपये राशि बनती है।बतौर मुहावजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक **21.05.2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner